



न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० गवालियर

APR-2966-I-16

प्रकरण क्रमांक

/2016 पुनरीक्षण

श्री श्रीराम-जी का द्वारा आज दि १८-७-१६ को प्रस्तुत

कृष्ण
प्राप्ति अंग कोटि
प्राप्ति सुष्ठुल प.प्र. रामिलगर 16-8-16

ਮोਹਰਸਿੰਹ ਪੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਪਤਸਿੰਹ
 ਜਾਟਵ ਆਯੁ-36 ਵਰ්਷ ਵਾਵਸਾਧ-
 ਕ੃਷ਿ ਨਿਵਾਸੀ- ਗ੍ਰਾਮ ਗੁਰੀਂਦਾ,
 ਤਹਸੀਲ ਮਿਹੋਨਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਿਣਡ,
 ਮ0ਪ्र0 -- ਆਵੇਦਕ

ବନ୍ଦାମୁ

मुस ० मन्जू वेवा कल्यानसिंह
 जाटव आयु- २५ वर्ष,
 निवासी-गुरीरा तहसील मिहोना,
 जिला भिंड, मा०प्र०

-- अनावेदिका

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
21/07/2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय
चम्बल सम्भाग मुरैना, म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक
198/2014-15/अपील व उनवान मोहरसिंह
बनाम मुस0 मन्जू के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
लहार के व्यायालयीन प्रकरण क्रमांक
15/2014-15/अपील में पारित आदेश को स्थिर
रखा गया है, जिसमें विचारण व्यायालय द्वारा
प्रकरण क्रमांक 28/2012-13/अ-6 में आदेश
दिनांक 19/12/2014 के द्वारा नामान्तरण स्वीकार
किया गया।

माननीय महोदय,

~~માનુષિક~~

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 ²⁷⁶⁰~~2670~~ /एक/16

जिला भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.01.18	<p>आवेदक की ओर से श्री आर०एस०सेंगर, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित।</p> <p>उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा उपस्थित होकर तर्क दिया गया कि प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के मध्य आपसी समझौता हो गया है।</p> <p>अतः प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी समझौता होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अभिलेख सहित अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।</p> <p> मुद्रण</p>	